WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

MAY 2022

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- सम्मान समारोह
- Stakeholders Consultation: Industrial and C&D Sector in NCR-UP
- प्रदूषण व बेरोजगारी के बीच संतुलन
- संसदीय समिति की सिफारिश, किसानो की तर्ज पर दिया जाए
  छोटे कारोबारियों को भी क्रेडिट कार्ड
- बकाया वसूली के लिए धमका नहीं सकते बैंक
- क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते बैंक
- महंगाई थामने के लिए रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में 0.40% का इजाफा किया
- आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म अधिसूचित
- अब उपभोक्ता खुद क़िस्त बनाकर करे बिजली बिल जमा
- बिजली लाइंस लॉस खत्म करेंगे, एक्शन प्लान तैयार, 100 दिन के एजेंडे में आया
  बिजली चोरी रोकना
- सिम कार्ड से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए नए नियम बनेंगे
- अप्रेंटिसशिप करने वालो को सीधे मिलेगी केंद्रीय सहायता
- अब जिलों से दी जाएगी कौशल विकास मिशन को रफ्तार
- रेरा की वेबसाइट पर देनी होगी 140 परियोजनाओं की जानकारी
- फरियादियों के कष्ट हरेगी डीएम की हरी पर्ची
- अंग्रेजों के राज नहीं, आज के अंदाज में काम कर सकेगी पुलिस

सम्मान समारोह: विधायक श्री अमित अग्रवाल

चैम्बर में 23-04-2022 को नवनिर्वाचित विधायक श्री अमित अग्रवाल जी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमे चैम्बर के अध्यक्ष डॉ राम कुमार गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शशांक जैन एवं अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। चैम्बर के अध्यक्ष डॉ राम कुमार गुप्ता जी एवं अन्य सदस्यगणो ने विधायक जी को एक सम्मान प्रतिक भेंट किया , इसके पश्चात अध्यक्ष जी ने कैंट क्षेत्र व इंडस्ट्रीज से संबंधित अनेक समस्याओं से विधायक जी को अवगत कराया। जिनमे मुख्यत सड़को की खस्ता हालत, जाम, भवनों के नक्से न पास होने, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बैंक ऋण न मिलना आदि सम्मलित थी। माननीय विधायक जी ने सभी समस्याओ को ध्यान से सुना एवं इन समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया।

Stakeholders Consultation: Industrial and C&D Sector in NCR-UP

नोएडा में मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, मुज़फ्फरनगर आदि क्षेत्रो से आये उद्यमियों एवं संस्थाओं ने दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रो में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष डॉ एमएम कुट्टी के साथ एक सेमीनार किया, जिसमे एनसीआर क्षेत्र में उद्योगों को पीएनजी और बायोमास से संचालित किए जाने के आदेश के बाद आ रही परेशानियों से अवगत कराया। वैस्टर्न यू पी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरठ की ओर से भी अधिकारियों को इस संबंध में एक पत्र के माध्यम से सुझाव दिए गए। इस सेमीनार में अध्यक्ष डॉ एमएम कुट्टी के अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सेक्रेटरी श्री अरविंद नोटियाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज सिंह DoEF & CC GoUP, सेक्रेटरी श्री आशीष तिवारी DoEF & CC GoUP, मैम्बर सेक्रेटरी श्री अजय कुमार शर्मा UPPCB आदि मौजूद रहे। उद्यमियों ने बताया कि इंडस्ट्रीज में 500 किलोवाट के बीच जेनसेट का उपयोग करते है, जबकि इस क्षमता के साथ पीएनजी पर संचालित करने के लिए उक्त श्रेणी में कोई जेनसेट निर्मित नहीं है। उन्होंने पीएनजी से चलाने की अनिवार्यता के तहत आगरा की तर्ज पर उद्यमियों को सब्सिडी के तहत गैस उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने बायोमास की निरंतर उपलब्धता न होने की समस्या को और अन्य समस्याओं को अध्यक्ष जी के सामने अवगत कराया तथा उनसे इनके समाधान करने की मांग की।

प्रदूषण व बेरोजगारी के बीच संतुलन

विकास और पर्यावरण दोनों ही दीर्घकालीन आवश्यकताएं हैं। इन दोनों में से किसी भी एक को आगे रख दूसरे को पीछे छोड़कर चले तो संतुलन बिगड़ जायेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार के साथ जीवन की गुणवत्ता भी चोटिल होगी। परन्तु संतुलन बना कर साथ चलना भी आसन काम नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय प्रगति को बनाए रख संतुलन बनाना कठोर कार्य है। सरकार को इसी कठोर मार्ग पर विकास की गति को बनाए रखने लिए निर्णय लेने होंगे।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण की चिंता व इसे बचाने के लिए राष्ट्रों के बीच समय-समय पर सहमति पत्र हस्ताक्षरित होते रहे हैं जिसमें भारत भी प्रमुख पक्ष के रूप में सदैव उपस्थित रहा है। हमारे लिए राहत की बात है कि भारत कार्बन उत्सर्जन करने वाले शीर्ष देशों की सूची में नहीं है। वायु मंडल में घातक गैसों के प्रभाव को कम से कम करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र का उत्तरदायित्व निर्धारित है। पेरिस समझौते के बाद अमेरिका ने अपने विकास एजेंडे पर ठोस ब्रेक लगाने के बजाय भारत से कार्बन क्रेडिट खरीद कर क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया। अपना उत्तरदायित्व समझाते हुए भारत ने भी कानून बना कर प्रदूषण को कम करने की व्यवस्था की। इसी के तहत नेशनल ग्रीन ट्बयूनल एक्ट 2 जून 2010 को लाया गया जिस के लागू होने के बाद प्रदूषण के सापेक्ष में उधोगो के पहिए थमने लगे। यदि इस संतुलन को ठीक नहीं किया गया तो महंगाई और बेरोजगारी के दानवों का आकार प्रदूषण के मुकाबले अधिक डरावना हो जायेगा। सरकार के सम्मुख दो रास्ते हैं, एक जैसे अमेरिका ने किया, पेरिस समझौते से हाथ खींच कर औधोगिक गति को तेज करने का निर्णय लिया। “हम पहले अमेरिकन हैं” का नारा देकर दुनिया को ठेंगा दिखा कर अपने हित को आगे बढ़ाया।

भारत जिम्मेदार राष्ट्र है तथा ऐसे कदम नहीं उठा सकता। फिर भी विकास की गति को रोके बिना संतुलन बनाना समय की महती आवश्यकता है। अभी भारत में नये उद्योग लगाने की गुंजाइश भी है और जरूरत भी है। देश के सम्मुख बेरोजगारी बड़ी समस्या के रूप में खडी है। रोबोट युग के कारण बीस पचास व्यक्तियों का काम एक कम्प्यूटर से करने की प्रथा से हाथ खाली हो रहे हैं। सन् 2009 में गठित अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने बताया कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार की सम्भावना छोटे व मध्यम उद्योगों में है। भारत के कुल औधोगिक उत्पादन में सूक्ष्म व लघु उद्योगों की हिस्सेदारी लगभग 46 प्रतिशत है। रोजगार प्रदान करने में इस क्षेत्र की प्रशंसा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री ओबामा ने भी की थी। कृषि के बाद यह दूसरो बड़ा समूह है जहां करीब 6 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। हमारे वार्षिक निर्यात में लगभग 35 प्रतिशत का सहयोग इसी सैक्टर द्वारा किया जा रहा है। अत: लघु उद्योगों की भूमिका व महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जरूरत इसको और अधिक फैलाव के साथ प्रभावशाली बनाने की है।

वर्तमान परिस्थियों में जब विश्व आर्थिक मन्दी से संघर्ष कर रहा है, बिना किसी महत्वपूर्ण सहायता अथवा सहयोग के अपनी विकास दर को बनाए रख कर इस वर्ग ने अपनी परिपक्वता व मजबूती से सभी को प्रभावित किया है। उपरोक्त सभी तथ्य वास्तव में बेहद संतोषजनक और आत्मविभोर करने

वाले हैं। परंतु आत्म प्रशंसा और उपलब्धियों के साथ चुनौतियां भी पर्वत श्रृंखला की तरह सामने खडी हैं। वहाँ हम विकास को स्थायी और दीर्घकालीन बनाने के लिए उसकी समग्रता को नजर अंदाज नहीं कर सकते। चुनौतियों के बीच हमें अपने सामाजिक दायित्व का भी बोध है। इसमें सरकार द्वारा पर्यावरण व प्रदूषण जैसे विषयों पर पृथक-पृथक उत्तरदायित्व निर्धारित करने के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर उस औधोगिक क्षेत्र में सामूहिक व्यवस्था कर दीर्घकालीन सकारात्मक उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। सत्यता है कि छोटे उद्योग प्रदूषण नियंत्रण के कानूनों से सर्वाधिक खतरे में हैं क्योंकि बड़े उद्योगों के पास उचित शोधन यंत्र लगाने के लिए बजट है। किन्तु महंगे शोधक संयंत्र लगाना छोटे व मझौले उधमियों के बस की बात नहीं है। प्रदूषण से बचाना तो है परंतु बचाने के लिए मिलों को बंद करा देना उपाय नहीं है। यह तो उसी प्रकार है जैसे शरीर के किसी भाग पर जीवाणुओं का संक्रमण हो तो उस व्यक्ति को गोली मार दी जाय। इसके लिए प्रदूषण रक्षक एजेंसियों को साफ हिदायत हो कि कमी ढूंढ कर मिल बंद कराना मकसद नहीं है बल्कि कमी को दूर कराने के लिए कम खर्च की युक्ति सुझाना सरकार का उद्देश्य है। मिलें बंद करना समस्या को बढ़ाना है। ऐसे में इन सम्भावनाओं को भी नहीं नकारा जा सकता कि सुविधा शुल्क से निरीक्षणालय को प्रभावित कर भ्रष्टाचार से कामचलाऊ व्यवस्था की जा रही हो।

समाधान के तौर पर एक उपाय सी०टी०पी० व एस०टी०पी० संयंत्रों पर सब्सिडी देकर उधमियों का बोझ कम किया जा सकता है। दूसरा उपाय औधोगिक क्षेत्र में सभी यूनिटों के लिए एक संयुक्त संयंत्र लगवा कर छमाई फीस वसूली जा सकती है। वर्तमान में संयुक्त संयंत्र का प्राविधान तो है परंतु उसका प्रचार नहीं है। योजना में आकर्षण पैदा करने के लिए निजी संयंत्र के मूल्य के मानक तय कर निर्धारित सीमा तक आयकर में छूट दी जा सकती है।

उद्योगों का विकास व प्रदूषण का बचाव हमारी दो आंखों की तरह है। इनमें से एक को फोड़ने का चयन नहीं किया जा सकता। अत: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व एन०जी०टी० एक्ट में यथानुसार संशोधन करने चाहिए।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,

Bulk Drugs & Drug Intermediates etc.

Corporate Office & Works :

303-A, INDUSTRIAL AREA, PARTAPUR MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. fax.: 0121-2440711 Email- shubhamorganics95@gmail.com

संसदीय समिति की सिफारिश, किसानो की तर्ज पर दिया जाए छोटे कारोबारियों को भी क्रेडिट कार्ड

वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने सूक्ष्म, लघु और मझोले यानी छोटे उद्यमियों को किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर एक क्रेडिट कार्ड दने की सिफारिश की है। भुगतान स्कोर के लिए एक तंत्र स्थापित करने और छोटे व्यवसायों के लिए नियमित कर्ज तक पहुंच आसान करने के लिए सिडबी में भी अहम सुधार की वकालत की है।

समिति ने कहा है कि इस तरह के एक मंच से एमएसएमई को व्यापार क्रेडिट कार्ड जैसे उत्पादों के साथ एक किफायती कर्ज सुविधा प्रदान करना संभव होगा।

यह कार्ड छोटे व्यवसायों को कार्यशील पूंजी देगा, उनके राजस्व के लिए व्यापार वित्तपोषण सुनिश्चित करेगा, सस्ती दरों पर पूंजी ऋण प्रदान करेगा। समिति ने क्रेडिट स्कोर की तर्ज पर भुगतान स्कोर प्रदान करने के लिए तंत्र बनाने के लिए भी वकालत की है।

समिति ने कहा कि 6.34 करोड़ एमएसएमई में से 40 फीसदी से कम ने औपचारिक वित्तीय प्रणाली से कर्ज लिया है। उसका कहना है कि इस क्षेत्र में काम कर रहे उद्यमों के बारे में विश्वसनीय डाटा की कमी के कारण बैंक एमएसएमई क्षेत्र को कर्ज देने में अनिच्छुक थे और इसलिए एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता थी।

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

व्यापार क्रेडिट कार्ड ऐसे देने का सुझाव:

समिति ने सुझाव देते हुए कहा कि जब आप उद्यम पोर्टल के लिए साइन अप करते है, तो आपको स्वचालित रूप से एक क्रेडिट कार्ड मिले जो कि व्यापार क्रेडिट कार्ड हो। प्रत्येक संस्थान यह तय कर सकता है कि वह कितना बड़ा कर्ज देना चाहते है और इसके साथ ही वह आपका भुगतान इतिहास यानी भुगतान स्थापित कर सकते है। समिति का कहना है कि यह न केवल एमएसएमई को एक औपचारिक वित्तपोषण प्रणाली में लाएगा बल्कि उनकी तत्काल वित्तपोषण जरूरतों को भी पूरा करेगा।

बकाया वसूली के लिए धमका नहीं सकते बैंक

बकाया वसूली के लिए बैंक तीसरी पार्टी के जरिये ग्राहकों को डरा-धमका नहीं सकेंगे। आरबीआई ने इस संबंध में बैंको को सख्त निर्देश दिया है। बैंक व अन्य वित्तीय संस्थान ग्राहकों की मंजूरी बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड न तो जारी कर सकेंगे और न ही अपग्रेड या एक्टिवेट कर सकेंगे। ऐसा करने पर सभी शुल्क ग्राहक को वापस करने होंगे। क्रेडिट कार्ड बिल का दोगुना जुर्माना भी देना पड़ेगा। नया नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा।

PASWARA GROUP
PASWARA PAPERS LIMITED
Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut U.P.
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com
A Pioneer Unit for Manufacturing of:
“Multi Layer Kraft Paper, M.G. Kraft Paper & Kraft Board.”

क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते बैंक

बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अब ग्राहकों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ उठाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते है। आरबीआई ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किया है। इसके अलावा, अन्य सेवाओं के लाभ के लिए ग्राहकों के डेबिट कार्ड को कही लिंक करने पर भी पाबंदी लगाईं गई है।

केंद्रीय बैंक ने कहा, कार्ड जारी करने वाले बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित करने के साथ इसका प्रचार भी करे। कार्ड से जुडी किसी भी समस्या के लिए ग्राहक आरबीआई के लोकपाल से शिकायत कर सकते है। अगर शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने की तारीख से अधिकतम एक महीने में संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो वह शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

इन्हे कार्ड जारी करने की अनुमति:

ताजा सर्कुलर में कहा गया है कि जिन व्यावसायिक बैंको का नेटवर्थ 100 करोड़ रूपये से ज्यादा है, वे क्रेडिट कार्ड बिजनेश कर सकते है। यानी वे ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते है। वे चाहे तो इसके लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य बैंको के साथ साझेदारी कर सकते है।

एनबीएफसी नहीं जारी कर सकती क्रेडिट कार्ड:

आरबीआई ने सर्कुलर में कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बिना मंजूरी के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का कारोबार नहीं कर सकती। वे इस तरह के किसी और कारोबार में भी शामिल नहीं हो सकती है। केंद्रीय बैंक ने बैंको को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे ग्राहकों से वसूली के मामले में अपने एजेंट को सही तरीके से काम करने के लिए कहे। ऐसा नहीं करने पर वे ग्राहकों के बीच अपना विश्वास खो सकती है।

कॉल सेंटर कर्मचारियों को दे प्रयाप्त प्रशिक्षण:

आरबीआई ने कहा की कार्ड जारी करने वाली कंपनी यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके कॉल सेंटर के कर्मचारियों को प्रयाप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे शिकायतों को सक्षम तरीके से सुलझा सके। कार्ड जारी करने वाला शिकायतकर्ता को उसके वित्तीय नुकसान, मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा देने का जिम्मेदार होगा।

महंगाई थामने के लिए रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में 0.40% का इजाफा किया

रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ रही महंगाई को थामने के लिए रिज़र्व बैंक ने पौने चार साल बाद ब्याज दरे बढ़ने का एलान किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास से बताया कि रेपो रेट में तत्काल प्रभाव से 0.4 फीसदी का इजाफा किया गया है। कैश रिज़र्व रेश्यो में भी 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इससे कर्ज पर ईएमआई बढ़ने के आसार है।

खुदरा महंगाई शीर्ष पर:

खुदरा महंगाई दर पिछले तीन महीने से 6 फीसदी के ऊपर बनी हुई थी जो आरबीआई की लक्षित सीमा के ऊपर थी। केंद्रीय बैंक को महंगाई दर 4 फीसदी के आसपास बनाये रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें 2 फीसदी की कमी या इजाफा हो सकता है। इसलिए आपात बैठक में यह फैसला लिया गया। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक रिज़र्व बैंक से कर्ज लेता है।

अर्थव्यवस्था झटको से उबरने में सक्षम:

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक रुख नरम है और महामारी के दौरान किए गए उपायों को सोच-विचार कर वापस लिया जाएगा। अर्थव्यवस्था बाहरी झटके सहने में सक्षम है।

हर तरह का कर्ज महंगा होने की आशंका बढ़ी:

फैसले के बाद न सिर्फ कॉर्पोरेट बल्कि आम लोगो के लिए उधार की लागत बढ़ेगी। इससे आवास, कार और व्यक्तिगत कर्ज समेत सभी कर्ज की ईएमआई बढ़ जाएगी।

इन क्षेत्रों पर असर:

- रेपो दर बढ़ने से वाहन, रियल एस्टेट, कंज्यूमर गुड्स (टीवी, वाशिंग मशीन, एसी, फ्रिज और घरेलू उपकरण) की कीमतों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

- कंपनियां लागत बढ़ने की वजह से कीमत बढ़ाएंगी जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। वहीं, खरीदारी करने के लिए महंगा कर्ज चुकाना होगा।
- बैंकों को सीआरआर में 0.5 वृद्धि की भरपाई करने के लिए बाजार पूंजी लेनी होगी जिससे एफडी पर ब्याज में वृद्धि संभव

क्यों उठाना पड़ा कदम:

- यूक्रेन युद्ध व रूस पर प्रतिबंधों की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे,इसका भारत पर असर
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं और खाने-पीने की वस्तुओं की कमी से कीमतों में इजाफा संभव
- इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर पाबंदी की वजह से खाद्य तेलों के दाम अगले कुछ महीनों में बढ़ने की संभावना
- बीते महीने खाने-पीने की चीजों के 12 उपसमूहों में से नौ में महंगाई बढ़ी,बैंक के मुताबिक खुदरा महंगाई में बढ़त संभव

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म अधिसूचित

आयकर विभाग ने अपडेटेड आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने के लिए नया फॉर्म अधिसूचित किया है। करदाताओं को इसे दाखिल करने की सही वजह के साथ यह भी बताना होगा कि कर के लिए कितनी राशि को पेश किया जा रहा है। नया फॉर्म आइटीआर करदाताओं को 2019-20 और 2020-21 के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध होगा। आइटीआर-U दाखिल करने वालो को आय को अपडेट करने के लिए कारण बताना होगा।

INDRA BRICK WORKS

Manufacture of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

Office: 6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002

Mobile No.: 9737126444, 9837081518

Email: rajendra_2068@yahoo.com

Works: Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. DPS, Meerut City

अब उपभोक्ता खुद क़िस्त बनाकर करे बिजली बिल जमा

अब उपभोक्ता घर बैठे क़िस्त बनाकर बिजली बिल जमा कर सकते है। एमडी पीवीएनएल ने बताया कि यह सुविधा अभी तीन माह के लिए लागू की गई है। उपभोक्ता को क़िस्त में ऑनलाइन बिल जमा कराने के लिए यूपीपीसीएल की वेबसाइट के तहत कंज्यूमर कॉर्नर में क्लिक करना होगा। विकल्प आने पर बिल की रकम को किश्त के रूप में निर्धारित कर भुगतान किया जा सकता है। बकाया राशि अगले बिल में जुड़कर आएगी।

बिजली लाइंस लॉस खत्म करेंगे, एक्शन प्लान तैयार
100 दिन के एजेंडे में आया बिजली चोरी रोकना

पश्चिमांचल के 14 जिलों में बिजली लाइन लॉस कम करने का अभियान शुरू होगा। एमडी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने अधिशासी अभियंताओ को इसे 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल कर एक्शन प्लान तैयार करते हुए प्रजेंटेशन देने के निर्देश दिए। बिजली लाइन लॉस कम करने का कार्य रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्किम के तहत होगा। गौरतलब है कि विगत दिनों हिन्दुस्तान कार्यालय पहुंचे ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर के सामने यह मामला उठा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही बिजली चोरी और लाइन लॉस रोकने पर काम शुरू होगा।

एमडी ने बताया कि 14 जनपदों के वितरण खंडो के अधिशासी अभियंताओं द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। नोएडा एवं गाज़ियाबाद के अधिशासी अभियंताओं ने लाइन हानियां कम करने हेतु एक्शन प्लान प्रस्तुत किया। मेरठ व बागपत के अधिशासी अभियंताओं ने भी लाइन हानियां कम करने का भी एक्शन प्लान प्रस्तुत किया। एमडी का कहना है कि रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत लाइन लॉस के मूल कारणों का आकलन किया जाएगा।

इसमें मेन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एनालेसिस, डीटीवार लाइन हानियों की गणना लाइन हानियों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद समयबद्ध तरीके से एक्शन प्लान बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। डीटी के इनपुट पॉइंट से आउटपुट पॉइंट तक एनालेसिस कर रूट कॉज़ का पता लगाकर लाइन हानियों को न्यूनतम किया जाएगा।

यह कार्य भी किए जाएंगे:

लाइन हानियों को कम करने में मीटर को घर के बाहर स्थापित किया जाएगा। खराब मीटर को बदला जाएगा। विद्युत चोरी पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बिलिंग एफेसियंसी, कलेक्शन एफेसियंसी को 100 प्रतिशत तक किया जाना है। एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंट होने से परिचालन दक्षता में सुधार होगा।

सिम कार्ड से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए नए नियम बनेंगे

सिम कार्ड के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद दूरसंचार विभाग ने सख्ती का रूख अपनाया है। विभाग ने खोने या खराब होने पर सिम कार्ड के बदलने से जुड़े नए नियम बनाने पर काम शुरू कर दिया है।

इस संबंध में विभाग ने दूरसंचार कंपनियों के साथ बैठक की और उनसे सिम कार्ड बदलने (सिम स्वैप) को लेकर सुझाव मांगे। बैठक में सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने पर भी चर्चा हुई। मौजूदा व्यवस्था के तहत जब कोई सिम कार्ड खराब या चोरी हो जाता है तो ग्राहक दूरसंचार कंपनी से बदलने का आग्रह करता है।

उचित सत्यापन के बाद कंपनी ग्राहक को नया सिम कार्ड दे देती है। लेकिन कई बार धोखेबाज दूरसंचार कंपनी के पास फर्जी दस्तावेज जमा करके गैरकानूनी तरीके से नया सिम कार्ड ले लेते हैं और संबंधि व्यक्ति के खाते से पैसा चुरा लेते हैं।

दूरसंचार विभाग ने सिम बदलने को लेकर कंपनियों से सुझाव मांगे हैं जिनके आधार पर गाइडलाइंस तैयार की जा सकें। इसको लेकर भी दूरसंचार विभाग की कंपनियों के साथ बैठक होनी है। इन गाइडलाइंस को तैयार करने का मुख्य मकसद यह है कि धोखेबाजों के बजाए वास्तविक ग्राहक को सिम बदलने की सुविधा मिले।

HYUNDAI

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

ऐसे की जाती है धोखाबाजी:

धोखेबाज सबसे पहले फिशिंग या अन्य तरीके से संबंधित व्यक्ति के बैंक खाता और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाते हैं। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए दूरसंचार कंपनी से सिम कार्ड को बंद करने का आग्रह किया जाता है। सत्यापन के बाद दूरसंचार कंपनी असली सिम को बंद करके धोखेबाजों को नया सिम कार्ड दे देती है। इससे धोखेबाजों की वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) तक पहुंच हो जाती है और वे धोखाधड़ी से लेन-देन कर लेते हैं। जब तक असली ग्राहकों को इसकी जानकारी मिलती है, तब तक धोखेबाज कई बार वित्तीय ट्रांजेक्शन के जरिए बैंक खाते से पैसा चुरा लेते हैं।

बैंक-दूरसंचार कंपनियां जारी करती हैं एडवाइजरी:

अधिकांश बैंक और दूरसंचार कंपनियां समय-समय पर सिम बदलकर होने वाली धोखेबाजी को लेकर एडवाइजरी जारी करती रहती हैं। इसमें ग्राहकों को धोखेबाजी से बचने के बारे में भी जानकारी दी जाती है। एक बार गाइडलाइंस बनने के बाद दूरसंचार कंपनियों और ग्राहकों के लिए सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल की जांच करना आसान हो जाएगा।

Radha Krishna Group of Companies

A House of leading Clearing and Forwarding Agents, Logistic Managements, Medical & Education

H.O.: Manjulika House, 221/5, Thapar Nagar, Meerut

Ph. No.: 09412207670, 09412205570

Email: bhushan.drbrij@gmail.com, sandeepgoel69@gmail.com

Branch Offices: **Meerut , Ghaziabad, New Delhi, Deheradun, Haldwani, Lucknow, Varanasi, Kanpur, Kundli & Rai (Sonipat)**

अप्रेंटिसशिप करने वालो को सीधे मिलेगी केंद्रीय सहायता

विभिन्न उद्योगों में अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओ के खाते में केंद्र सरकार सीधे पैसे हस्तांतरित करेगी। अभी तक ये पैसे संबंधित कंपनियों को दिए जाते थे। कंपनी ही बाद में अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओ को पैसे देती थी। उसके साथ ही अप्रेंटिसशिप मेला अब साल में एक बार लगने के बजाय हर महीने लगेगा, ताकि प्रशिक्षित युवाओ को रोजगार के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। शिक्षा और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह घोषणा की।

देशभर में 700 प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेलो का उद्घाटन करते हुए प्रधान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसी भी एक समय में 10 लाख युवाओ को विभिन्न कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के तहत ट्रेनिंग मुहैया कराना है। केंद्र सरकार अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओ को 1500 रूपये हर महीने की सहायता देती है। अभी तक यह सहायता संबंधित कंपनी के मार्फत दिया जाता था, लेकिन अब सीधे अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओ के खाते में रूपये भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप को युवाओ की शैक्षणिक योग्यता में शामिल किया जाएगा, जिसका लाभ उन्हें भविष्य में मिलेगा।

प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले में 30 उद्योगों से जुड़े 4000 संगठनों ने हिस्सा लिया। ये संगठन ऊर्जा, रिटेल, दूरसंचार, आइडी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव क्षेत्रो से जुड़े थे। वहीं इनमे भाग लेने वाले पांचवीं से लेकर 12वीं पास ऐसे युवा थे, जिन्होंने किसी तरह का कौशल विकास का प्रशिक्षण लिया था। इसके साथ ही आइटीआइ से डिप्लोमा और स्नातक की डिग्री लेने वाले युवाओं ने भी हिस्सा लिया। एक साथ 700 स्थानों पर अप्रेंटिस मेले लगाने का मूल उद्देश्य एक लाख युवाओ को विभिन्न उद्योगों में ट्रेनिंग के लिए भर्ती कराना है, जहां वे प्रशिक्षण लेने के साथ-साथ कमाई भी कर सकेंगे।

SHIVANGI INTERNATIONAL

A-216, 2nd Floor, Meerut Mall, Near Metro Plaza, Delhi Road, Meerut

Telephone: 0121-2517722, 2511578, 4002793

E-mail: info@shivangiinternational.com, shivangi2@gmail.com

Website: www.shivangiinternational.com

अब जिलों से दी जाएगी कौशल विकास मिशन को रफ्तार

प्रदेश में कौशल विकास मिशन को अब जिलों से रफ्तार दी जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार देने का प्लान तैयार कर उनका क्रियान्वयन जिले स्तर से होगा।

इस प्लान को अगले 100 दिन में लागू करने की योजना है। मिशन ने चालू वित्तीय वर्ष में पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य 3.5 लाख का था।

मिशन निदेशक आंद्रा वामसी का कहना है कि इससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। वहीं स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं भी जिले से जुड़ सकेंगी।

ऐसे में युवकों को हर काम के लिए लखनऊ स्थित राज्य कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान के तहत जिलों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे। प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के भुगतान का सत्यापन भी जिले से होगा, पर राज्य स्तर से उसका भुगतान किया जाएगा।

कार्य न कर पाने वाली संस्थाएं हटेंगी:

युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाने में फेल होने वाली संस्थाओं को मिशन से हटाया जाएगा। नए स्टार्टअप ट्रेनिंग पार्टनर जोड़े जाएंगे। वर्तमान में हर साल कम से कम दो हजार लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार सृजन कराने का जिम्मा प्रत्येक संस्थान पर है।

इस कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं का लक्ष्य दोगुना किया जाएगा। वहीं 60 से 70 फीसदी तक लक्ष्य पूरा कर रहीं संस्थाओं का लक्ष्य भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन खराब प्रदर्शन करने वालों को हटाया जाएगा।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

9.74 लाख को टैबलेट-स्मार्टफोन:

प्रदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरा मेडिकल और नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्यन्नरत 9.74 लाख विद्यार्थियों को सौ दिन में स्मार्ट फ़ोन व टेबलेट वितरित किए जाएंगे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना में इसे शामिल किया है। विभाग के अनुसार महामारी के कारण पिछले दो साल से युवाओ के पठन-पाठन पर बुरा असर पड़ा है। ऑनलाइन पढाई में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय किया है। इस क्रम में अब तक 2.70 लाख से अधिक विद्यार्थियों को स्मार्टफोन व टैबलेट दिए जा चुके है। अब 100 दिन में 9.74 लाख को स्मार्टफोन व टैबलेट देने की तैयारी है।

हर जिले में बनेगा निर्यात हाउस:

प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता (नंदी) ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में निर्यात हाउस बनेगा। निर्यात प्रोत्साहन संबंधी योजनाओ को स्थानीय स्तर पर लागू किया जाएगा। उन्होंने अपने विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना बताते हुए कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले 100 दिन के भीतर वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। नंदी जी ने कहा कि लक्ष्य विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने का है। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों का विकास किया जाएगा।

THE FASTEST GROWING INSTITUTION

CAEHS

College of Applied Education & Health Science

Gangotri, Roorki Road, Meerut

Phone no.: 0121-2610931, 2610200, 2610033

Admission Helpline: 9997030564, 9258051445

Email: info@caehs.edu.in

Website: www.caehs.edu.in

रेरा की वेबसाइट पर देनी होगी 140 परियोजनाओं की जानकारी

यूपी रेरा ने रियल स्टेट सेक्टर से जुड़े क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों एवं प्रोमोटरों को परियोजना का विस्तृत ब्यौरा व उससे जुडी महत्वपूर्ण जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए है। इसमें प्रत्येक परियोजना की कुल इकाई अपडेट करनी होगी। जिससे नियमित व नवीनतम जानकारी यूपी रेरा की वेबसाइट पर आती रहे। मेरठ में लगभग 140 परियोजनाएं रेरा में स्वीकृत है। इसमें आवास विकास, एमडीए की परियोजनाए भी शामिल है। इस जानकारी के जरिए यूपी रेरा प्रत्येक परियोजना के निर्माण की स्थिति भी जान सकेगा और समय रहते जरुरी निर्देश जारी कर सकेगा, जिससे खरीदारों को समयबद्ध तरीके से घर मिल सके।

फरियादियों के कष्ट हरेगी डीएम की हरी पर्ची

कुछ समय पहले एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने पुलिस ऑफिस में आने वाले फरियादियो के लिए पीली पर्ची देने की व्यवस्था शुरू कराइ थी। पर्ची पर शिकायत के संबंध में जानकारी दर्ज होती है, और संबंधित थाने को निस्तारण के लिए निर्देशित किया जाता है। अब ऐसी ही व्यवस्था डीएम ने भी कलक्ट्रेट आने वाले फरियादियो के लिए भी शुरू की है। अपनी पीड़ा लेकर आने वालो को हरे रंग की मुलाकाती पर्ची दी जा रही है। कलक्ट्रेट में अपनी फ़रियाद लेकर जिलेभर से आने वाले फरियादियो की सुविधा के लिए डीएम ने मुलाकाती पर्ची की व्यवस्था शुरू कराई है। नई व्यवस्था के अनुसार फरियादी का पर्ची पर नाम-पता, मोबाइल नंबर, तारीख आदि दर्ज किया जाएगा। पर्ची पर जारी कर्ता के हस्ताक्षर भी रहेंगे। इसके बाद डीएम पीड़ित की शिकायत सुनेंगे और संबंधित विभाग को शिकायत के निस्तारण के लिए निर्देशित करेंगे। साथ ही पर्ची पर तारीख भी दर्ज की जाएगी। मुलाकाती पर्ची जारी होने से फरियादी की शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई, इसकी जानकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगी। इसके अलावा एक से अधिक बार शिकायत आने की जानकारी भी अधिकारी को पर्ची देखते ही मिल जाएगी। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि अपनी समस्या लेकर कलक्ट्रेट आने वाले लोगो की सुविधा के लिए मुलाकाती पर्ची की व्यवस्था शुरू कराई गई है। पर्ची पर दर्ज जानकारी को देख शिकायत के निस्तारण में सुविधा होगी। इसके अलावा एक से अधिक बार शिकायत आने की जानकारी भी मिल सकेगी।

अंग्रेजों के राज नहीं, आज के अंदाज में काम कर सकेगी पुलिस

तकनीक ने अगर आम आदमी के जीवन को सरल व बेहतर बनाया है तो अपराधी भी इसका प्रयोग करने में पीछे नहीं रहे हैं। कई बार वह पुलिस से आगे दिखते हैं। कारण है, पुलिस के पास अंग्रेजों के जमाने के जांच व पहचान अधिकार जिसके कारण सजा दिलाने की दर यानी कनविक्शन रेट भारत में काफी कम है। केंद्र सरकार ने बीते दिन ही आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक, 2022 संसद से पारित कराया है। यह पुलिस को तकनीक के बेहतर प्रयोग की छूट देगा। भारत में पुलिस सुधारों की बात लंबे समय से होती रही है। अब मोदी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस विधेयक को पुलिस सुधार और अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि यह टिप आफ द आइसबर्ग यानी एक बड़े काम की शुरुआत भर है। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में वह पुलिस की कार्यशैली व अपराध नियंत्रण को बेहतर करने के लिए कई और बड़े कदम उठाने वाली है।

इसलिए जरूरत थी इस विधेयक की:

- भारत में हत्या के मामलों में सजा की दर करीब 44 और दुष्कर्म के मामलों में 39 प्रतिशत है।
- अमेरिका में अपराधों में सजा की दर 93 प्रतिशत, यूनाईटेड किंगडम में 83.6 प्रतिशत है। कनाडा में यह दर 68 प्रतिशत है।
- नया विधेयक अपराधियों की पहचान अधिनियम, 1920 का स्थान लेगा। पुलिस आदतन अपराधियों, आरोपितों और मुजरिमों के बारे में रेटिना, आइरिस स्कैन सेज्यादा डाटा जुटा सकेगी। 1920 वाले अंग्रेजों के कानून में मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के ¨फगरप्रिंट, फुटप्रिंट और तस्वीरें लेने का प्रविधान ही था।

स्मार्ट पुलिसिंग की नई रणनीति:

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में ही साफ कर दिया था कि बेहतर पुलिसिंग समय की जरूरत है।
- स्मार्ट फार्मूला तैयार किया गया जिससे पुलिस का आधुनिकीकरण होना है।
- स्मार्ट यानी स्टिक्ट और सेंसिटिव, माडर्न और मोबाइल, अलर्ट और अकाउंटेबल, रिलायबल और रिस्पांसिबल, टेक्नो सैवी एंड ट्रेंड।
- इसमें टी यानी टेक्नो सैवी एंड ट्रेंड की दिशा में केंद्र सरकार ने खासतौर पर प्रयास आरंभ किए हैं और नया विधेयक इसी कड़ी में पहला सुधार है।

आगे क्या है केंद्र की योजना:

- केंद्र सरकार माडल प्रिजन मैनुअल यानी आदर्श कारागार नियमावली बनाने की तैयारी में भी है।
- मैनुअल कैदियों के पुनर्वास पर जोर देगा। कैदी दोबारा अपराध की ओर न लौटें, इसमें मैनुअल सहायक हो सकता है।
- मैनुअल का एक हिस्सा जेल अधिकारियों के अधिकार नियंत्रित करने पर भी होगा।
- दरअसल यह कानून अंग्रेजों के समय के हैं और अब समाज, व्यवस्था और तकनीक में बहुत परिवर्तन हो चुका है।

अगली पीढ़ी के सुधारों की तैयारी भी:

- केंद्र सरकार अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जेन क्राइम और क्रीमिनल से निपटने के लिए नेक्स्ट जेन पुलिसिंग की भी तैयारी में है।
- अत्याधुनिक फोरेंसिक लैब और इससे संबद्ध विशेषज्ञों की सीमित संख्या के सापेक्ष आपराधिक मामलों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से देश में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी है।

- स्मार्ट पुलिसिंग के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक 'मोडस आपरेंडी' ब्यूरो स्थापित करने की भी तैयारी है। इसका उद्देश्य अपराध के बदलते चलन को समझना और उसके हिसाब से पुलिसिंग की रणनीति तय करना है।
- भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में भी संशोधन और सुधार के लिए सरकार तैयारी कर रही है।
- कुल मिलाकर आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक,2022 भारत को बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध मुक्त समाज बनाने की तरफ केवल शुरुआत भर है। इस दिशा में आगे बहुत कुछ होगा।

विदेश में ऐसे हो रहा तकनीक का प्रयोग:

- फेसबुक ने कुछ समय पहले आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रयोग करते हुए बाल नग्नता से जुड़े करीब नब्बे लाख चित्र केवल तीन माह में खोजकर गुमशुदा व शोषित बच्चों से संबंधित अमेरिकी केंद्र को सौंपे।
- अमेरिका में बड़ी संख्या में कानून प्रवर्तन एजेंसियां दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एल्गोरिदम का प्रयोग कर रही हैं। जो इंटरनेट व डार्क वेब में देह व्यापार के विज्ञापनों में दर्ज जानकारी के माध्यम से मानव तस्करी और देह व्यापार के पीड़ितों तक पहुंचने में मदद करता है। यह अब तक 2.5 करोड़ से अधिक पेज खंगाल चुका है और इतना सफल है कि अमेरिकी रक्षा विभाग इसे अवैध हथियार, ड्रग्स और नकली सामान के मामलों की जांच में प्रयोग के लिए जांच रहा है।
- यूनाईटेड किंगडम में पुलिस एक साफ्टवेयर की परीक्षण कर रही है जो किसी आरोपित के मोबाइल फोन की जांच कर सुबूत जुटाने में सहायता करता है। यह फोटो और बातचीत के पैटर्न का अध्ययन, चेहरों का मिलान और कई अन्य डिवाइस से क्रास रिफरेंस डाटा निकालकर बताता है कि कैसे एक संदिग्ध समूह ने बातचीत की है। इससे थाईलैंड में मानव तस्करी में शामिल अधिकारियों, तीन पुलिस अधिकारियों और एक सेना के जनरल की पहचान की जा चुकी है।

XXXXXXXXXX